दिनांक–31.07.2012 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में सम्पन्न अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं ठेला भेन्डर की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं ठेला भेन्डर की अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारी गण उपस्थिति हुए :–

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
7. जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।
8. सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।

सर्व प्रथम अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं ठेला भेन्डर केअनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान एवं ठेला भेन्डर की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी कुल–11 (ग्यारह) मामलों पर सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–3220 दिनांक–03.12.2005, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–601 दिनांक–15.02.2007 एवं विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5738 दिनांक–23.06.2011 तथा विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–16.02.2012 में वर्णित प्रावधान/निदेश के आलोक में प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया।

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5738 दिनांक–23.06.2011 द्वारा प्राप्त सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका–04 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पचपन वर्ष की आयु के भीतर होने पर ही उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी। विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–16.02.2012 के आलोक में उक्त प्रावधान दिनांक–23.06.2011 से पूर्व के मृत्यु के मामलों में प्रभावी नहीं होगा यानि 55 (पचपन) वर्ष की आयु सीमा संबंधी बंधेज लागू नहीं होगा। तदनुसार निम्न अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता की आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं ठेला भेन्डर की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई।

क्र० पृ० ३० →

242

क्र0	आवेदक का नाम	मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता/ठेला भेन्डर का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या	आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध	विक्रेता के मृत्यु की तिथि	आवेदक द्वारा आवेदन दायर करने की तिथि	अनुशंसा वर्ग/अनुमंडल का नाम	गत बैठक में समिति का निर्णय	वर्त्तमान बैठक में समित का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विजेन्द्र कुमार	स्व0 चित सुन्दर नारायण सा0–रायसर, माधोपुर, मुंगेर। अनु0सं0–104/08	पुत्र	18.01.2010	17.02.2011	ज0वि0प्र0 विक्रेता सदर मुंगेर अनुमंडल	वंशावली में आवेदक का ही उम्र 56 वर्ष है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार मृत अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 55 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अतः समिति द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–16.02.2012के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5738 दिनांक–23.06.2011 के निर्गत होने के पूर्व अर्थात 23.06.2011 से पूर्व के मामलों में संशोधन आदेश प्रभावी नहीं होगा यानी 55 (पचपन) वर्ष की आयु सीमा संबंधी बंधेज लागू नहीं होगा। तदनुसार समिति द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई।
2	श्री मोहन कुमार चौधरी	स्व0 रामगोविन्द चौधरी, सा0 कुतलुपुर बहादुर नगर कचहरी टोला, सदर मुंगेर। अनु0सं0–02/08	पुत्र	19.06.2010	05.08.2010	तथैव	वंशवली में मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी की उम्र 60 वर्ष है। स्वतः मृत अनुज्ञप्तिधारी का उम्र इससे ज्यादा होगा। विभागीय अधिसूचनानुसार मृत अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 55 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अतः समिति द्वारा अस्वीकृत करने	तथैव

क्र०पृ० ३० →

क्र0	आवेदक का नाम	मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता/ठेला भेन्डर का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या	आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध	विक्रेता के मृत्यु की तिथि	आवेदक द्वारा आवेदन दायर करने की तिथि	अनुशंसा वर्ग/अनुमंडल का नाम	गत बैठक में समिति का निर्णय	वर्त्तमान बैठक में समित का निर्णय
							का निर्णय लिया गया।	
3	श्री दिव्य प्रकाश	स्व0 कृष्ण मोहन साह सा0–गाँधीपुर, बरियारपुर मुंगेर। अनु0सं0–07/08	पुत्र	03.01.2011	04.03.2011	तथैव	वंशावली में मृतक की पत्नी का उम्र 50 वर्ष अंकित है। तथा मृतक के बड़े पुत्र का उम्र 35 वर्ष अंकित है। जबकि अभिलेख के साथ संलग्न मतदाता सूची में मृतक का उम्र 50 वर्ष मृतक के पत्नी उम्र 45 वर्ष तथा मृतक के बड़े पुत्र का उम्र 40 वर्ष अंकित है ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की उम्र 55 वर्ष से अधिक होगा। अनुमंडल पदाधिकारी को उम्र के संबंध में वृहत जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अभिलेख अगले चयन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	तथैव
4	श्री पुरूषोत्तम सिंह	स्व0 महादेव प्र0 सिंह सा0–टीकारामपुर, जागदीश मंडल टोला, थाना–मुफसिल, मुंगेर।	पुत्र	09.02.2009	07.01.2010	तथैव	विभागीय निदेशानुसार अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 55 वर्ष के अन्दर होनी चाहिए। प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा के अवलोकन से मृतक का उम्र स्पष्ट नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी को उम्र के संबंध में जाँच कर स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ अभिलेख अगले चयन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया	तथैव

क्र० पृ० उ० →

क्र0	आवेदक का नाम	मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता/ठेला भेन्डर का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या	आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध	विक्रेता के मृत्यु की तिथि	आवेदक द्वारा आवेदन दायर करने की तिथि	अनुशंसा वर्ग/अनुमंडल का नाम	गत बैठक में समिति का निर्णय	वर्त्तमान बैठक में समित का निर्णय
5	मसो0 मंजू देवी	स्व0 धनिक साह ग्राम+पो0–नौवागढ़ी थाना–नया रामनगर, मुंगेर। अनु0सं0–40/08	पत्नी	07.12.2011	20.03.2012	तथैव	–	तथैव
6	श्री मोती लाल साह	स्व0 बाल किशुन साह (ठेला भेन्डर) सा0–जमालपुर, मुंगेर। अनु0सं0–60/08	पुत्र	17.12.2010	10.12.2010	ठेला भेन्डर सदर मुंगेर अनुमंडल	वंशावली में मृत अनुज्ञप्तिधारी के बड़े पुत्र का उम्र 55 वर्ष है। स्वतः मृत अनुज्ञप्तिधारी का उम्र इससे ज्यादा होगा। विभागीय अधिसूचनानुसार मृत अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 55 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अतः समिति द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	तथैव
7	श्री नवीन कुमार सिंह	स्व0 रामचरण सिंह ग्रा0–चनकी पो0–हरपुर, संग्रामपुर मुंगेर। अनु0सं0–60/08	पुत्र	03.01.2010	08.03.2010	ज0वि0प्र0 विक्रेता तारापुर अनुमंडल	अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली नहीं है। शपथ पत्र वंशावली की छाया प्रति संलग्न है जिसमें परिवार के सदस्यों का उम्र अंकित नहीं है। आवेदन में आवेदक का उम्र 40 वर्ष अंकित है। मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता की उम्र 55 वर्ष से अधिक होने की संभावना है। अनुमंडल पदाधिकारी को विस्तृत जाँच कर अभिलेख अगले चयन समिति की बैठक में भेजने का निर्णय लिया गया।	तथैव
8	मसो0 ललिता देवी	स्व0 उपेन्द्र प्र0 यादव ग्राम–औरंगा, धोबई थाना–तारापुर मुंगेर। अनु0सं0–110/08	पत्नी	04.09.2010	20.10.2011	तथैव	–	तथैव

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि आवेदक द्वारा समर्पित सभी कागजात वैध है तथा की जानेवाली नियुक्ति अधतन प्राप्त अधिसूचना/गजट/निदेश के शर्त्तो के अधीन है। चयनित आवेदक को इस आशय का चरित्र प्रमाण–प्रत्र/कार्यपालक दण्डाधिकारी का शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि अनके विरूद्ध किसी न्यायलय में कोई अपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है, जिसमें उन्हें सजा मिलने की आशंका हो। नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संदर्भ में यह स्पष्ट रहेगा कि उनके द्वारा समर्पित कागजात गलत पाये जाने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति रदद की जा सकती है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर देगें कि ऐसी नियुक्तियों में जो भी सरकारी निर्देश है, उनका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति को रदद कर दिया जायेगा।

(2) निम्नांकित आवेदन पत्र/अभिलेख के जाँच के क्रम में कुछ अपेक्षित कागजात/प्रतिवेदन की कमी/त्रुटि पायी गयी, जिसमें समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया।

क्र0	आवेदक का नाम	मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या	आवेदक का मृत अनुज्ञप्तिधारी के साथ संबंध	विक्रेता के मृत्यु की तिथि	आवेदक द्वारा आवेदन दायर कारने की तिथि	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रेम शंकर	स्व0 सावित्री देवी पति–स्व0 रामेश्वर प्रसाद सा0–पुरब सराय अनु0सं0–05/08	पुत्र	20.04.2011	13.06.2011	मृत ज0वि0प्र0 विक्रेता पर 7 EC का मामला दर्ज था। निलम्बन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गयी। 7 EC का मामला दर्ज होने तथा निलम्बन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा देय के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।
2	श्री पवन कुमार सिंह	स्व0 हृदय नारायण सिंह सा0–औरंगा, धोबई तारापुर मुंगेर। अनु0सं0–40/08	पुत्र	17.02.2012	17.04.2012	मृत अनुज्ञप्तिधारी के उम्र सत्यापन के क्रम में आवेदक द्वारा मृतक का भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई है। जिसमें मृतक की आयु दिनांक–01.01.2002 को 42 वर्ष अंकित है। इस तरह वर्त्तमान में इनकी आयु 52 वर्ष होती है। पहचान पत्र संख्या DRLO580506 का Net पर जाँच किया गया तो मृतक का उम्र 63 वर्ष पाया गया जो विभागीय निदेश के अनुसार 55 वर्ष से ज्यादा है। अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर को निदेश दिया गया कि इसका विस्तृत जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जाय।
3	सुश्री तन्नु भारती	स्व0 विनय कुमार ग्राम–कठना, पो0–खैरा पंचायत मझगॉय थाना–ह0 खड़गपुर मुंगेर। अनु0सं0–13/0[illegible]	पुत्री	29.12.2009	—	मृत अनुज्ञप्तिधारी की विधवा पत्नी ~~[illegible]~~ पंचायत शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। अतः समिति द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

क्र0 प्र0 30 →

उपरोक्त सभी प्राप्त आवेदन/अभिलेख संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस करने का निदेश दिया गया।
अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 631/जि0आ0, दिनांक 11/08/2012

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 631/जि0आ0, दिनांक 11/08/2012

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।